

26



दिल्ली विकास प्राधिकरण  
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा  
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म  
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”  
“OPEN HOUSE MEETS”

OFFICE OF THE DIR (PIO.)  
M.P.R./T.C., D.D.A. N. DELHI-2  
By No. 2577  
dated 7/5/12

P-II

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए  
Form to be filled by Participant

नाम Name	Sanjeev Kumar
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual ✓	Individual
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9212330182 09818336300
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	ababab ababab2005@gmail.com
पता : Address :	Village Kushak-Hiranki Delhi -36
हस्ताक्षर : Signature :	Sanjeev Kumar
तिथि : Date :	30/04/12

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं  
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

26

दिनांक: 30 अप्रैल 2012

श्री अमित दास  
निदेशक (योजना)  
दि. वि. प्रा. जोन पी-1  
एवं पी-II नरेला, 11 वां तल, विकास मीनार  
नई दिल्ली

विषय: दिल्ली मुख्य योजना 2021 के विषय में सुझाव

श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन यह है कि दिल्ली विकास प्रधिकरण की तरफ से आपके विज्ञापन भावी दिल्ली 2021 "उत्तरी जिले में आयोजित खुला मंच (ओपन हाउस मीट)" के सन्दर्भ में आपके द्वारा जो सुझाव मांगे गये थे वो इस प्रकार है:-

1. राष्ट्रीय मार्ग नं० 1 से विजीराबादी यमुना के साथ साथ जोन पी-2 में 100 मीटर परियोजनात्मक रोड़ है उसके लिए जमीन अधिग्रहण बांध से यमुना की तरफ की जानी चाहिए।

विषय: दिल्ली मुख्य योजना 2021 के विषय में सुझाव

क्योंकि बाँध की अन्दर की जमीन का अधिग्रहण मूल्य काफी कम है ओर बाँध से गांव की तरफ का सरकारी मूल्य अधिक है।

2. मास्टर प्लान 2021 में पी.पी.पी. योजना ही होनी चाहिए ओर इसमें कम से कम 2 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग सोसइटी को मान्यता दी जानी चाहिए।

आपके द्वारा मांगे गये सुझाव

जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

3. राष्ट्रीय मार्ग नं० 1 से विजीराबादी यमुना के साथ साथ जोन पी-2 में 100 मीटर परियोजनात्मक रोड़ है

3. वर्तमान समय में जो रोड़ पी-2 जोन में 8 मीटर के है उनको बढ़ा कर कम से कम 30 मीटर किया जाना चाहिए।

4. अगर किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहीत करती है तो किसान को विकसित जमीन का 15 प्रतिशत दिया जाना चाहिए।

5. जोन पी-2 में ग्रीन ब्लेट को छोड़ कर जो फार्म हाउस बने हुए है उनको तोड़ कर। उनकी जगह पर सार्वजनिक प्रयोग या फिर रिहायसी मकान बनाये जाने चाहिए।

क्योंकि मकानों की दिल्ली में पहले ही कमी है और फार्म हाउस अत्यधिक जगह घेरते है। इन्हें ग्रीन ब्लेट एरिया में ही होना चाहिए।

6. वर्तमान समय में विद्युत की जो 220 और 440 की हाई एक्सटेंशन वायर है उनको ग्रीन ब्लेट एरिया में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

इससे ज्यादा से ज्यादा जमीन सामाजिक विकास के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

कृपया करके इन सुझावों का विचार किया जाए तथा क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाए।

धन्यवाद सहित।

क्योंकि मकानों की दिल्ली में पहले ही कमी है और फार्म हाउस अत्यधिक जगह घेरते है। इन्हें ग्रीन ब्लेट एरिया में ही होना चाहिए।

प्रार्थी

Sanjeev Kumar

6. वर्तमान समय में विद्युत की जो 220 और 440 की हाई एक्सटेंशन वायर है उनको ग्रीन ब्लेट एरिया में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

Village - Kashak - Hiranaki

Delhi

Mobil - 9218336300

कृपया करके इन सुझावों का विचार किया जाए तथा क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाए।